निगरानी / टीए / 2823 / 2023 / सीकर
शीशराम बनाम बनवारी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ डॉ महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य उपस्थितः– (1) ज्योती पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से। (2) धर्मेन्द्र सिंह टांक, पुरूषोत्तम शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से। निर्णय दिनांकः– 29.11.2023 1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर सीकर के आदेश दिनांक 01–06–2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जो कि अपील संख्या 31 / 22 बउनवानी शीशराम बनाम बनवारी में पारित किया गया। 2– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। 3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सीकर ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 288 निगराकार की खातेदारी भूमि है जिसपर रिकार्ड में मौके पर कोई प्रचलित रास्ता नहीं है, जबकि रास्ते हेतु राजस्व रिकार्ड या नक्शे में इन्द्राज होने आवश्यक है। बनवारी ने ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है तथा वह निगराकार की खातेदारी भूमि में रास्ता बता रहा है जो कि गलत है। ग्राम पंचायत ने पटवारी हल्का जेरठी से रिपोर्ट दिनांक 11–07–2022 को मंगाई जो कि एकतरफा रिपोर्ट है पटवारी ने नोटिस नहीं दिये तहसील कार्यालय में बैठकर एक तरफा रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है जो स्वीकार योग्य नहीं है। निगराकार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा सन् 2016 में चलाये गये अभियान के तहत खसरा नम्बर 282 बाबत् खसरा नम्बर 282 में आने जाने हेतु प्रचलित मौके पर रास्ते हेतु काई अभियान चलाया गया है तो उस बाबत् तहसीलदार द्वारा चलाई गई कार्यवाही हेतु तैयार की गई प्रक्रिया की रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की जाना आवश्यक है। उक्त रिपोर्ट उक्त प्रकरण को निर्णित किये जाने हेतु अहम दस्तावेज है। तहसीलदार ने गलत रूप से राजस्व ग्रुप–5 विभाग द्वारा दिनांक 10–08–2016 को रास्ता सम्बंधी समस्याओं के निराकरण अधिनियम के तहत अजीतपुरा के खसरा नम्बर 292, 289, 288, 282 बाबत् प्रचलित रास्ते के रिकार्ड को	

निगरानी / टीए / 2823 / 2023 / सीकर
शीशराम बनाम बनवारी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तलब करने का निवेदन किया तहसीलदार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है जिसे वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके परन्तु विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर सीकर ने नॉन स्पीकिंग आदेश से उक्त प्रार्थना पत्र बिना कारण, स्पष्टीकरण दिये बिना खारिज कर अपने में निहित अधिकार का गलत मनमाना प्रयोग किया है इस कारण उक्त आदेश दिनांक 01–06–2023 निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, सीकर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि राजस्व ग्रुप–5 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10–08–2016 द्वारा रास्ता सम्बंधी समस्याओं के निराकरण अधिनियम 2010 के तहत किये जाने वाली कार्यवाही बाबत् निजी खातेदारों की भूमि में मौके पर स्थाई रूप से चालू रास्ते का अंकन किये जाने के निर्देश दिये गये है जिस बाबत जिला कलक्टर को निर्देशित किया गया है। आवेदक ने अपने पत्र में इस बात का कथन किया है कि प्रकरण माफी मूर्ति मंदिर बनाम हणमान में विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, सीकर से स्थगन होने से रेकार्ड में अंकन नहीं हुआ उक्त कथन को स्पष्ट करने हेतु तहसीलदार की रिपोर्ट बाबत् खसरा नम्बर 292, 289, 288, 283 बाबत् कार्यवाही मंगाई जानी आवश्यक है जिसे नजरअंदाज किये जाने से विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, सीकर द्वारा पारित निगराधीन आदेश निरस्तनीय है। अतिरिक्त कलेक्टर सीकर ने रास्ता सम्बंधी समस्या निराकरण अधिनियम, 2016 के तहत जारी परिपत्र दिनांक 16–08–2016 को नजरअंदाज किया है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (सेटलमेण्ट ऑपरेशन) (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) रूल्स 1953 की धारा 173 के प्रावधानों के तहत भू–प्रबंध विभाग द्वारा सम्वत 2011 में नवीन सर्वे किया गया है। जिसमे निजी खातेदारी की भूमियों में प्रचलित रास्ते को डोटेड लाईन से दर्शाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलकर्ता व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 288 में से अप्रार्थी संख्या 01 खातेदारी की भूमि में आने जाने का प्रचलित रास्ते के सम्बंध में डोटेड लाईन से प्रचलित रास्ता का भू–अभिलेख नक्शे में अंकन नहीं किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार के आदेशानुसार सन् 1987 में भू–प्रबंध विभाग में एवं सर्वे कर राजस्व रिकार्ड को संधारण किया है इसके अनुसार भी उक्त प्रचलित रास्ते के सम्बंध में भू–अभिलेख ट्रेस में डोटेड लाईन से नहीं दर्शाया गया है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी खसरा नम्बर 282 भूमि में आने जाने का रास्ता मौके पर नहीं रहा है तथा राजस्व सरकार की विज्ञप्ति राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज0 सरकार जयपुर दिनांक 10–08–2016 के तहत तहसीलदार द्वारा कलेक्टर को कार्यवाही हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसकी रिपोर्ट तलब की जानी आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 01 बनवारी खसरा नम्बर 288 पर अपना आना जाना सुखाधिकार साबित नहीं कर पाया है और सुखाधिकार के लिये धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दादरसी नहीं दी जा सकती। सीपीसी के आदेश 11 नियम 12 के तहत यह प्रावधान है कि ऐसा कोई दस्तावेज या रिपोर्ट जो प्रकरण को निर्णय करने में अहम दस्तावेज है न्यायालय उक्त दस्तावेज मंगवा सकता है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलक्टर, सीकर का आदेश दिनांक 01–06–2023 निरस्त किया जावे एवं रास्ते सम्बंधी समस्या निराकरण अधिनियम 2016 के तहत दिनांक 10–08–2016 के तहत की गई तहसीलदार रिपोर्ट तलब की जाकर गुणावगुण पर निर्णय करने के आदेश न्यायहित में पारित किये जावें।	

निगरानी / टीए / 2823 / 2023 / सीकर
शीशराम बनाम बनवारी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी / अनिगराकार ने प्रार्थी / निगराकार के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 288 में से कदीमी रूप से चला आ रहा है, जिससे प्रार्थी का परिवार अपने खेत में आते जाते रहे है। आराजी खसरा संख्या 288 जिसमें से होकर प्रचलित रास्ता अप्रार्थी की भूमि में आता है की खातेदारी गणेश सिंह के नाम से दर्ज है तथा मौके पर रास्ते से लगती हुयी भूमि को खातेदार गणेश सिंह का पुत्र शीशराम काश्त कर रहा है। अप्रार्थी का परिवार कदीमी रूप से उक्त प्रचलित रास्ते से आता जाता रहा है, उन्होनें कथन किया कि निगराकार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी के जरिये तहसीलदार सीकर ग्रामीण से जो दस्तावेज तलब फरमाया है ऐसा कोई दस्तावेज न तो अस्तीत्व में है एवं न ही निगराकार ने उसकी कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष निगराकार की ओर से राजस्व (ग्रुप—5) विभाग द्वारा दिनांक 10—08—2016 को रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अधिनियम, 2016 के तहत प्रचलित रास्ते के रिकार्ड के संबंध में तहसीलदार की कार्यवाही नोट तलब किये जाने का निवेदन किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने खारिज कर दिया था क्योंकि उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु परीक्षण न्यायालय के समक्ष पंचगणो की मौजूदगी में विवादित रास्ता प्रचलित रूप में होने की रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद थी। निगराकार द्वारा जो दस्तावेज तलब करवाया जा रहा है वह मौके पर प्रचलित रास्ते में अवरोध हटाने के उक्त प्रकरण में औचित्यहीन है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे। 5— हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । प्रार्थी अनिगराकार ने न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रचलित रास्ते को खुलासा करने का निवेदन किया । न्यायालय तहसीलदार सीकीर (ग्रामीण) जिला सीकर ने अपने आदेश दिनांक 10—12—2022 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता खुलासा किये जाने का आदेश पारित किया । न्यायालय तहसीलदार सीकर (ग्रामीण) जिला सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—12—2022 से व्यथित होकर प्रार्थी / निगराकार ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की । तत्पश्चात् प्रार्थी / निगराकार ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 02—02—2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी का प्रस्तुत किया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निगराधीन आदेश दिनांक 01—06—2023 के द्वारा प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 सीपीसी को खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी / निगराकार ने मण्डल के समक्ष उक्त निगरानी पेश की है । प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी / अनिगराकार ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है । राज्य सरकार की ओर से रास्ते विवाद के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 10—08—2016 जारी किया हुआ है । उक्त परिपत्र की पालना में ही न्यायालय तहसीलदार द्वारा	

निगरानी / टीए / 2823 / 2023 / सीकर
शीशराम बनाम बनवारी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी / अनिगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में नये सिरे से कोई रिपोर्ट प्राप्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं । 6— परिणामतः प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01—06—2023 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ महेन्द्र लोढ़ा) सदस्य	